राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–44 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.08.2022	श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–17.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक–23.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 044467 दिनांक–18.07.2022 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रविशंकर कुमार अकेला ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–14.07.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–14.07.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–14.07.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.09.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 24/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–44/2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.09.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री रविशंकर अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, थाना–बेऊर, पोस्ट–अनिसाबाद, पटना–800001 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–14.07.2022, (जो दिनांक–26.07.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) के माध्यम से सुश्री रजान्ती कुमारी द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक–17.07.2017 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय/सूचना संसूचित किया है तथा इसकी छायाप्रति समर्पित किया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामला तृतीय पक्ष से भी संबंधित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–11 के अन्तर्गत आच्छादित होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा निर्णय/सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि प्रथम अपील लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया गया था। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। (हस्ताक्षर) 12/9/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	